Toppersnotes
Unleash the topper in you

2nd – ग्रेड

वरिष्ठ अध्यापक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

प्रथम – प्रश्न पत्र

भाग – 2

सामान्य अध्ययन (राजस्थान)

SIERRA INNOVATIONS

RPSC 2ND GRADE – 2022

सामान्य अध्ययन (राजस्थान)

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान में चौहान वंश	1
2.	राजस्थान एवं मुगल साम्राज्य	8
3.	राजस्थान में 1857 की क्रांति	16
4.	राजस्थान में किसान आंदोलन	21
5.	राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण	29
6.	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी	33
7.	राजस्थान का एकीकरण	42
8.	राजस्थान में प्रजामण्डल	47
9.	राजस्थान के लोक देवता	53
10.	राजस्थान की लोक देवियाँ	67
11.	राजस्थान के लोक संत	73
12.	राजस्थान के प्रमुख सम्प्रदाय	79
13.	राजस्थान के त्योहार	81
14.	राजस्थान की सामाजिक प्रथाएँ एवं रीति-रिवाज	93
15.	आभूषण, वेशभूषा व खान-पान	96
16.	राजस्थान के प्रमुख लोकगीत	100
17.	राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ	102
18.	राजस्थान के संगीत घराने	103
19.	राजस्थान के लोक नृत्य	105
20.	राजस्थान के लोक नाट्य	112
21.	राजस्थान की चित्रकला	117
22.	राजस्थान की हस्तकला एवं लोक कलाएँ	127

23.	राजस्थान का साहित्य	142
24.	राजस्थान की प्रमुख बालियाँ	149
25.	राजस्थान में प्रमुख साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान	151
26.	स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज व नगरीय शासन व्यवस्था)	154
27.	राज्यपाल	160
28.	मुख्यमंत्री	164
29.	विधानसभा	166
30.	राज्य की राजनीति	174
31.	राज्य मंत्रीपरिषद्	180
32.	मुख्य सचिव	182
33.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)	186
34.	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	189

3. 1857 की क्रांति (राजस्थान)

- लार्ड वेलेजली ने 1798 ई. में सहायक संधि प्रथा चलाई इसके तहत संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद (निजाम अली 1798)।
- राजस्थान की प्रथम रियासत भरतपुर (1803 रणजीत सिंह)
- गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिगेस ने 1917 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का प्रचलन किया।
- जिसके तहत संधि करने वाली रियासते निम्नलिखित है –
  - करौली–टोंक–कोटा–मारवाड–मेवाड़–बूंदी–बीकानेर–जयपुर–किशनगढ–डुंगरपुर–जैस लमेर–सिरोही
  - करौली – हरवक्ष पालसिंह 1817
  - सिरोही – शिवसिंह 1823
  - जैसलमेर – मलराज II 1819 में
  - जयुपर – जगत सिंह ।
  - जोधपुर – मानसिंह
  - उदयपुर – भीमसिंह
  - बीकानेर – सूरत सिंह
  - टोंक – अमीर खाँ
- इस क्रांति से पूर्व 1832 में विलियम बैटिंग ने AGG के पद का सृजन किया। प्रथम AGG मि. लॉकेट को बनाया गया जिसका मुख्यालय अजमेर था।
- 1845 ई. में ग्रीष्म कालीन केन्द्र माउण्ट आबू को बनाया गया।
- क्रांति से पहले 6 प्रमुख छावनियाँ थी
  एरिनपुरा (पाली), खेंरवाड़ा (उदयपुर – भील सेना का मुख्यालय), नसीराबाद, ब्यावर (अजमेर), देवली (टोंक – गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा), नीमच (मध्य प्रदेश),
- ब्यावर व खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया।
- इस क्रांति के समय राज के विभिन्न रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट
  - जयपुर – ईडन
  - जोधपुर – मेक मोसन
  - उदयपुर – शावर्स (तात्य टोपे की फांसी का विरोध किया)
  - सिरोही – J.D. हॉल
  - कोटा – बर्टन
  - भरतपुर – मोरिसन
- मेराठ में हुई क्रांति की सूचना राजस्थान के AGG को 18 मई, 1857 को माउण्ट आबू में प्राप्त हुई।

प्रमुल स्थल

नसीराबाद – 28 मई, 1857

- यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था।
- क्रांति प्रारम्भ करने वाली सैनिक टुकड़िया।
- 15 वीं व 30 वीं बंगाल नेटिव इन्फेन्टट्री
- छावनी का तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड
- बख्तावर सिंह ने प्रिचाई से कहा था कि ''हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही है।''
- इस छावनी में क्रांतिकारियों ने 2 अग्रेंज अधिकारियों की हत्या की – स्पोटिश वुड और न्यूबरी
- नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी भरतपुर रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे अंत भरतपुर में क्रांति हुई।

भरतपुर – 3 मई, 1857

- राजा – जसवंत सिंह
- संरक्षक – मोरिसन
- गुर्जर व मेव जाति द्वारा क्रांति की गई।
- क्रातिकारियों के भय से मोरिसन ने आगरा दुर्ग में शरण ली।

नीमच – 03 जून, 1857

- नेतृत्व कर्ता – मोहम्मद अली बेग व हिरा सिंह।
- अधिकारी – कर्नल एबॉट
- इस छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह फैली थी। इस अफवाह को शांत करने में मेवाड़ के सैनिक अधिकारी अर्जुन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- इस छावनी से भागे अंग्रेजो ने डूंगला गाँव में रूघाराम किसान के घर शरण ली। महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजो को पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया।
- क्रांतिकारी टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे।
- इस छावनी में भारतीय सैनिको को स्वामीभक्ति की शपथ दिलाई जिसका विरोध करते हुए मोहम्मद अली बेंग ने कहा था कि ''जब अंग्रेजो ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।''

टोंक में क्रांति – 10 जून 1857

- तत्कालीन नवाब वजीरूदौला। वजीर अली
- नवाब ने अंग्रेजो का साथ दिया अतः इसे ईसाई राजा भी कहा गया।
- देवली मे क्रांति 4 जून को हुई।
- टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया।
- इस रियासत में सर्वप्रथम देवली सैनिक छावनी में क्रांति प्रारम्भ हुई जो बाद में सम्पूर्ण रियासत में फैली गई थी।
- रियासती सैनिको का नेतृत्व नारिस मोहम्मद ने किया था।
- नासिर मोहम्मद की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता तात्या टोपे द्वारा की गई।
- टोंक रियासत से 600 मुजाहिद्दीन जफर की सहायता हेतु दिल्ली पहुँचे
- महिलाओं द्वारा भी इस रियासत में क्रांति में भाग लेने का उल्लेख मिलता है।

अलवर रियासत में क्रांति – 11 जुलाई, 1857

- शासक बन्ने सिंह ने अंग्रेजो का साथ दिया तथा क्रांति दमन करने में सहयोग किया।

अजमेर में – 9 अगस्त, 1857

- यहाँ क्रांतिकारियों ने कारागार पर आक्रमण करके 50 से अधिक साथियों को मुक्त करवाया।
- कर्नल डिक्सन ने मेर रेजीमेंट को ब्यावर से अजमेर भेजा तथा जोधपुर महाराजा तख्तसिंह ने कुशल सिंह सिंधवी के नेतृत्व में अजमेर भेजा व क्रांति का दमन कर दिया।

एरिनपुरा में क्रांति – 21 अगस्त, 1857

- नेतृत्व कर्ता – शीतल प्रसाद, मोती खाँ, तिलक राम
- ठाकुर शिवनाथ सिंह ने इन क्रांतिकारियों का साथ दिया।
- क्रांतिकारियों ने AGG के पुत्र एलेक्जेण्डर की हत्या कर दी थी।
- यहाँ के क्रांतिकारियों ने नारा दिया ''चलो दिल्ली मारो फिरंगी''।
- इन क्रांतिकारियों को अंग्रेज अधिकारी गराड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पराजित किया। नारनौल के युद्ध में।

आउवा में क्रांति – सितम्बर 1857

- ठाकुर कुशाल सिंह चम्पावत थे।
- कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच विवाद का मुख्य कारण तख्त सिंह द्वारा रेख में वृद्धि करना था।
- कुशाल सिंह के साथ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजो और जोधपुर की राजकीय सेना को निम्नलिखित से युद्धो से पराजित किया।

बिथोड़ा का युद्ध – 8 सितम्बर, 1857

- हीथकोट ने अंग्रेजी सेना व ओनार सिंह जोधपुर सेना का नेतृत्व किया, जिसमें कुशाल सिंह विजय रहा।
- ओनार सिंह व हीथकोट मारे गये।

चेलावास का युद्ध – 18 सितम्बर, 1857

- काले व गौरों का युद्ध
- क्रांतिकारियों के विरूद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ए.जी.जी. पैट्रिक लॉरेन्स द्वारा तथा जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेन्ट मैक मैसन द्वारा किया गया।
- मैक मैसन का सिर काटकर आऊवा किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया।
- अंग्रेज अधिकारी होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आऊवा के किले पर अधिकार किया। इस समय किले की रक्षा का भार लाम्बिया के ठाकुर पृथ्वीसिंह के पास था।
- कुशाल सिंह ने कोठारिया के ठाकुर जोधसिंह व सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास शरण ली।
- कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी में आत्मसम्पर्ण किया।
- इनके अपराधों की जाँच हेतु टेलर कमीशन बैठाया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट में कुशाल सिंह को अपराध मुक्त घोषित किया।
- 1864 में इसकी मृत्यु हो गयी।
- कुशाल सिंह का साथ देने वाले प्रमुख जागीरदार
  1. आसोप – शिवनाथ सिंह जागीरदार
  2. कोठारियाँ – जोधसिंह
  3. आलनियाँ – अजित सिंह
  4. सल्लुम्बर – केशरी सिंह
  5. घूलर – बिशन सिंह
  6. लाम्बिया – पृथ्वी सिंह
- आऊवा के क्रांतिकारियों की प्रेरणा श्रोत – कुल देवी सुगाली माता तथा कामेश्वर महादेव मंदिर को माना जाता है।

- होम्स द्वारा शुगाली माता की मूर्ति आऊवा से अजमेर ले जायी गई जो वर्तमान में पाली के बांगड संग्राहलय में सुरक्षित है।
- इस मुर्ति के 10 सिंह व 54 हाथ बने है।

कोटा में क्रांति – 15 अक्टूबर, 1857

- शासक – रामसिंह ।
- नेतृत्व कर्त्ता – जयदयाल और मेहराब खाँ
- ये दोनों कोटा की सेना में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे।
- क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ियाँ – नारायणी पलटन व भवानी पलटन
- क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा रामसिंह II को नजरबंद किया तथा कोटा नगर में समांतर सरकार चलाई।
- सर्वाधिक व्यवस्थित और लम्बे समय तक चलने वाली क्रांति कोटा की है।
- क्रांतिकारियों द्वारा यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया तथा बर्टन के दो पुत्रों फ्रेंक व ऑर्थर और डॉ सेड्लर व कोट्म की हत्या कर दी गई।
- रामसिंह II ने जनानी ड्योढ़ी की रक्षा हेतु मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पत्र लिया था।
- अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली महाराजा मदनपाल सिंह की सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार किया।
- अंग्रेजो ने रामसिंह II के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर 13 कर दी तथा मदन पाल सिंह बढाकर 13 से 17 कर दी।

धौलपुर में क्रांति – 27 अक्टूबर, 1857

- शासक – भगवन्त सिंह
- नेतृत्व – रामचन्द्र व गुर्जर देवा
- धौलपुर रियासत में ग्वालियर से आये क्रांतिकारियों ने क्रांति को प्रारंभ किया तथा पंजाब के पटियाला से आई सेना द्वारा क्रांति का दमन किया गया।
- क्रांतिकारी व दमनकारी दोनों बाहरी लोग थे।

1) जयपुर – रामसिंह II

जयपुर के राजा व प्रजा दोनों ने अंग्रेजो का साथ दिया। अतः अंग्रेजो ने रामसिंह II को "सितार–ए–हिंद" की उपाधि दी। कोटपूतली की जागीर प्रदान की।

2) बीकानेर – सरदार सिंह

सरदार सिंह ने राजपूताना से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने में अंग्रेजो का साथ दिया। अतः अंग्रेजो ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गाँव भेंट दिये।

3) जैसलमेर – रणजीत सिंह

अंग्रेजो का साथ दिया अतः अंग्रेजो ने रणजीत सिंह को 2000 की खिलअत (भेंट) प्रदान की।

4) अमर चन्द बाठिया

ये मूलतः बीकानेर के निवासी थे। ग्वालियर में व्यापार करते थे इन्हे ग्वालीयर का नगर सेठ और कोषाध्यक्ष का समान प्राप्त हुआ। 1857 की क्रांति के समय अमरचंद बाठिया ने रानी लक्ष्मी बाई की आर्थिक सहायता

की थी। अतः इनको ग्वालियर में सर्राफा बाजार में फांसी दे दी, 22 जून, 1857। इन्हें राजस्थान का प्रथम शहीद और मंगल पाण्डे भी कहा जाता है। लक्ष्मी बाई की आर्थिक सहायता करने के कारण इस क्रांति का भामाशाह भी कहा गया।

5) ताँत्या टोपे

मूल नाम – रामचन्द्र पाण्डूरंग, ग्वालियर के सामन्त थे।

इस क्रांति में लक्ष्मीबाई और नाना साहब की सहायता की थी। क्रांति के दौरान ताँत्या टोपे ने दो बार प्रवेश किया। प्रथम बार भीलवाड़ा मार्ग से 8/9 अगस्त, 1857 को प्रवेश किया। परन्तु कुआड़ा के युद्ध में होम्स की सेना से पराजित हुआ। दूसरी बार बाँसवाड़ा मार्ग से 11 दिसम्बर, 1857 को प्रवेश किया। बाँसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बाँसवाड़ा पर अधिकार किया तथा कुछ समय तक बासवाड़ा का शासन संचालन किया। जैसलमेर रियासत को छोडकर ताँत्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया था। जनवरी, 1859 में सीकर के युद्ध में ताँत्या टोपे हॉम्स की सेना पराजित हुआ। सीकर के ठाकुर राव राजा भैरव सिंह ने तात्या को रोकने का प्रयास किया। नरवर के सामंत व ताँत्या के मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल, 1859 को ताँत्या को बंदी बना लिया गया। 18 अप्रैल, 1859 को शिवपुरी नामक स्थान पर क्षिप्रा नदी के तट पर तात्या को फांसी दे दी गई। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेन्ट शावर्स ने इस फांसी का विरोध करते हुए कहा की ''ताँत्या ब्रिटिश भारत का निवासी नहीं था। अतः इसे फांसी देना गलत था। आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टी की''।

6) डूँगजी व जवाहर जी

ये सीकर ठिकाने में बठोठ परोदा के निवासी थे। शेखावटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। झुंझुनूं इन्होने 1847 में ई. में नसीराबाद सैनिक छावनी को लुटा था। अंग्रेजों ने डूंगजी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा था। जवाहर जी ने लोटीया जाट, करणीय मीणा, सांवत नाई आदि की सहायता से डूँगजी को मुक्त करवाया। बीकानेर रियासत ने जवाहर जी को संरक्षण दिया था।

7) रामसिंह II बूंदी के महाराजा

इन्होने अप्रत्यक्ष रूप से ताँत्या टोपे की सहायता की। इनका दरबारी साहित्यकार सूर्यमल्ल मिश्रण था। प्रमुख रचनाएँ वंश भास्कर व वीर सतसई। सूर्यमल्ल मिश्रण ने क्रांति के दौरान हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में क्रांतिकारियों का उत्साह वर्धन किया था। क्रांति के दौरान अंग्रेजो ने बाबोसर गढ (सीकर) को बारूद से उड़ा दिया।

4. राजस्थान मे किसान आंदोलन

राजस्थान मे किसान आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक कर व लागबाग होना था।

बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 [2nd Grade 1st Paper - 2018]

- **प्राचीन नाम** – विजयावल्ली था जिसका उल्लेख बिजौलिया शिलालेख में मिलता है।
- बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार को माना जाता है।
- खानवा युद्ध के बाद महाराणा सांगा द्वारा यह ठिकाना अशोक परमार को दिया गया।
- बिजौलिया से भैसरोडगढ तक के क्षेत्र को उपरमाल क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ धाकड जाति के किसानों की बहुलता है।
- इस आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक कर व लाग बाग को माना जाता है।
- जो कुल 84 प्रकार के थे। यह आंदोलन भारत का प्रथम अहिंसक किसान आंदोलन तथा राजस्थान का सर्वाधिक लम्बे समय तक चलने वाला माना जाता।
- यह आंदोलन तीन चरणो में सम्पन्न हुआ।
  प्रथम चरण 1897 से 1916 – साधु सीताराम दास **[2nd Grade 1st Paper - 2013]**
  दूसरा चरण 1916 से 1927 – विजय सिंह पथिक
  तीसरा चरण 1927 से 1941 – सेठ जमनालाल बजाज

प्रथम चरण

- इस चरण में बिजौलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने भूमि कर में 1.5 गुणा वृद्धि की जिसका किसानों ने विरोध किया।
- 1897 में गिरधारी पुरा गाँव में किसानों की बैठक हुई। गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया।
- किसानों द्वारा नान जी पटेल और ठाकरी पटेल को ठाकुर कृष्ण की शिकायत को लेकर महाराणा फतेहसिंह के पास भेजा गया।
- महाराणा द्वारा बिजौलिया की जाँच हेतु हामिद हुसैन को बिजौलिया भेजा गया जिसने अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में प्रस्तुत की।
- कृष्ण सिंह ने 1903 में चवरी कर/न्योत/विवाह कर लगाया जो प्रति विवाह 5 रू था।
- 1906 में पृथ्वी सिंह बिजौलिया का ठाकुर बना। इसने किसानों पर तलवार बंधाई कर/उत्तराधिकार शुल्क लगाया।
- 1914 में केशरी सिंह बिजौलिया का ठाकुर बना। महाराणा ने अमरसिंह राणावत को इसका संरक्षक बनाया।
- अमरसिंह द्वारा भूमि कर घटाकर 1/3 कर दिया गया।
- केशरी सिंह के समय ही बिजौलिया के किसानों से युद्ध कर वसूला गया।

द्वितीय चरण

- 1916 से 1927 विजयसिंह पथिक **[2nd Grade 1st Paper - 2018]**
- इनका मूल नाम भूपसिंह था।
- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुढावली गाँव में गुर्जर परिवार से संबंधित थे। अजमेर की टोडगढ जेल से मुक्त होने के बाद इन्होंने विजय सिंह पथिक नाम रखा।
- पथिक द्वारा 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई।
- इसमें कुल 13 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया।
- पथिक द्वारा उपरमाल डंका समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया।
- पथिक के आग्रह पर गणेश शंकर विधार्थी ने कानपुर से स्वयं द्वारा प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन का उल्लेख किया। **[2nd Grade 1st Paper - 2016]**
- इसी पत्र द्वारा बिजौलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया गया।
- पथिक द्वारा लिखा गया "झंडा नीचे नही झुकाना प्राण भले गंवाना"।

- माणिक्य लाल वर्मा द्वारा भी "पंछीडा" नामक गीत की रचना की गई।
- माणिक्य लाल वर्मा के साथ मिलकर पथिक ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की।
- 1919 में महाराणा फतेहसिंह द्वारा बिन्दूलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में तीन सदस्य समिति का गठन किया गया और इसे बिजौलिया भेजा गया।
- इसने अपनी रिपार्ट किसानों के पक्ष में प्रस्तुत की।
- इस समिति के अन्य सदस्य ठाकुर अमरसिंह व अफजल अली थे।
- 1920 में महाराणा द्वारा दूसरी समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य रमाकान्त मालवीय ठा., राजसिंह व तख्तसिंह थे।
- इस समिति ने उदयपुर में किसानों के प्रतिनिधि मण्डल से भेंट की इस मण्डल में माणिक्यलाल वर्मा सहित 8 सदस्य थे।
- 1922 में A.G.G रॉबर्ट हॉलैण्ड ने 84 में से 35 लगान समाप्त करने की घोषणा की, परन्तु उसे लागू नही किया गया।
- 10 सितम्बर, 1923 को पथिक को कुंभलगढ दुर्ग मे बंदी बना लिया गया। ये 1927 में मुक्त हुए इस दौरान बारानी भूमि पर कर बढ़ा दिया गया।

तीसरा चरण

- 1927–1941, जमनालाल बजाज।
- इन्होनें हरिभाऊ उपाध्याय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया।
- इस चरण में माणिक्य लाल वर्मा सर्वाधिक सक्रिय थे।
- वर्मा जी ने अंग्रेज अधिकारी विल्किन्सन तथा मेवाड अधिकारी सर टी. विजय राघवाचार्य के सहयोग से हॉलैण्ड की घोषणा को लागू करवाया। अतः आंदोलन समाप्त हुआ।
- गाँधी जी इस आंदोलन की जाँच हेतु अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा था।
- प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास "रंगभूमि" में जिस किसान आंदोलन का उल्लेख किया है उसकी रूप रेखा बिजौलिया आंदोलन से प्रेरित है।

बेंगू किसान आंदोलन (1921–1923) चित्तौडगढ

- आंदोलन का मुख्य कारण – अत्यधिक कर व लाग बाग
- प्रारम्भिक केन्द्र – मेनाल (महादेव मंदिर) भीलवाडा
- नेतृत्व कर्ता – रामनारायण चौधरी
- तात्कालीन ठाकुर – अनूपसिंह
- सर्वाधिक सक्रिय संगठन – राजस्थान सेवा संघ
- राजस्थान सेवा संघ व अनूपसिंह के मध्य एक समझौता हुआ। जिसे महाराणा ने वॉल्शेविक संधि की संज्ञा दी।
- 1922 में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1923 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सभी करों को जायज ठहराया।

गोविंदपुरा हत्याकांड (13 जुलाई, 1923)

- ट्रेंच अधिकारी द्वारा यह हत्याकाण्ड करवाया गया।
- इसमें रूपाजी धाकड, कृपाजी धाकड़ शहीद हुए।
- आंदोलन के अंतिम भाग में विजयसिंह पथिक ने नेतृत्व किया। अन्ततः 34 लाग बाग समाप्त कर दी गई। आंदोलन समाप्त हुआ।

अलवर किसान आंदोलन (1922–1925)

- राजा – जयसिंह/जयदेव सिंह
- जयसिंह द्वारा भूमिकर में वृद्धि कर दी गई।
- तात्कालिक कारण जंगली सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाना।

नीमूचाणा हत्याकाण्ड (14 मई, 1925) [2nd Grade 1st Paper - 2016]

- किसानों की सभा पर कमाण्डर छाजू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया। कुल 700 किसान शहीद हुए।
- गाँधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरशाही कहा।
- रियासत समाचार पत्र में इस हत्याकाण्ड की तुलना जलियावाला बाग हत्याकाण्ड से की गई।
- अलवर महाराजा ने इस हत्याकाण्ड की जाँच हेतु जनरल छजूसिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अन्य सदस्य – रामचरण लाल, ठाकुर सुल्तानसिंह, सिविल जज
- राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी एक समिति का मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में गठित की जिसके सचिव रामनारायण चौधरी थे।

मेव किसान आंदोलन, 1932

- तात्कालीन कारण कुरान की शिक्षा पर रोक लगाना।
- नेतृत्वकर्त्ता – चौधरी यासीन खाँ, मोहम्मद खाँ
- इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने राजा जयसिंह को देश निकाला दिया तथा कुरान की शिक्षा पर रोक हटा दी गई।
- 1932 में राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट पारित किया। जिसमें यह प्रावधान किया गया कि पूर्व में या बाद में स्थापित सभी संगठनों को इसके अन्तर्गत पंजीकृत करना होगा।
- मेवों ने इस अधिसूचना व अधिनियम का विरोध किया।
- 6 अक्टूबर, 1932 को ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक प्रतिनिधि मण्डल अपने अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद इकबाल के नेतृत्व में भारत के वायसराय से शिमला में मुलाकात की व एक ज्ञापन पेश किया।

बूँदी किसान आंदोलन, (1922–27)

- कारण अत्यधिक कर व लागबाग
- नेतृत्व कर्त्ता – पण्डित नयनूराम शर्मा
- प्रारम्भिक केन्द्र – बरड।
- इस आंदोलन के समय राजस्थान सेवा संघ द्वारा पत्रक प्रकाशित किया गया।
- जिसका शीर्षक "बूँदी राज्य में स्त्रियो पर अत्याचार"।
- यह आंदोलन राजा व रियासत के विरूद्ध न होकर प्रशासन के विरूद्ध था।

डाबी हत्याकाण्ड (2 अप्रैल, 1923) [2nd Grade 1st Paper - 2016]

डाबी नामक स्थान पर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा किसान सभा पर गोलीकाण्ड किया गया। जिसमें नानक भील व देवालाल गुर्जर शहीद हुए। इस समय में दोनों मंच से झण्डा गीत की प्रस्तुति दे रहे थे।

बीकानेर किसान आंदोलन (1927–1941)

- शासक – गंगा सिंह – दमन उत्पीडन निष्कासन की नीति अपनायी।
- गंगा सिंह द्वारा 1927 में गंगनहर का निर्माण करवाया गया। जो भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना थी।
- 1929 में जागीरदारों द्वारा मिलकर जमीदारा एसोसिएशन का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष दरबारा सिंह थे।
- बीकानेर रियासत में महाजन ठिकाना प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है।
- इस रियासत में सर्वाधिक अत्याचार, इसी ठिकाने में हुए।
- चन्दनमल बहड़ द्वारा किसानों का नेतृत्व किया गया परन्तु उन्हे बंदी बना लिया गया।
- इस रियासत में किसान आंदोलन का क्रूरता से दमन किया गया है।

दुधवा खारा किसान आंदोलन (1944–1948)

- ठाकुर सूरजमल
- **नेतृत्व** – चौधरी हनुमान सिंह
- **प्रमुख सहयोगी** – मधाराम वैध
- **प्रमुख कारण** – किसानों को जोत से बेदखल करना।
- **कांगड काण्ड – 1946** यहाँ किसानो की सभा पर अत्याचार हुआ। यहाँ महिलाओं का नेतृत्व खेतू बाई द्वारा किया गया। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ।

मारवाड किसान आंदोलन (1923–1947)

- 1918 में चाँदमल सुराणा द्वारा मरूधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई।
- इस रियासत में 1920 में तौल आंदोलन चलाया गया। जिसका कारण 100 तौला प्रति सेर से घटाकर 80 तौला करना था।
- 1922 में पुनः 100 तौला/सेर कर दिया गया । यह आंदोलन समाप्त हुआ।
- 1923 में मारवाड रियासत से मादा पशुओं के निष्कासन पर से रोक हटा ली गई। इसके विरोध में आंदोलन हुआ। अतः पुनः रोक लगा दी गई।
- 1931 में मारवाड में बिगोड़ी कर में वृद्धि कर दी गई।
- 1934 में पुनः इसमें कमी कर दी गई।
- सर्वाधिक तिहरा शोषण मारवाड रियासत में हुआ था।
- मारवाड़ रियासत में कुल राजपूताना का 26% भाग शामिल था।
- मारवाड रियासत की कुल भूमि का 13% खालसा भूमि व 87% जागीर भूमि थी।
- आंदोलन का कारण अत्यधिक कर व लाग बाग।
- नेतृत्व कर्ता – जयनारायण व्यास
- जयनारायण व्यास ने 1923 में मरूधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया और नाम बदलकर मारवाड हितकारिणी सभा रखा।
- 1938 में कृषक सुधारक मंच की स्थापना की गई।
- 1941 में बलदेव राम मिर्धा की अध्यक्षता में मारवाड किसान संघ की स्थापना की।
- 5 मार्च, 1932 को मारवाड़ हितकारिणी सभा व मारवाड़ यूथ लीग को असंवैधानिक संगठन घोषित कर दिया।
- छगनराज चौपासनीवाला व अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार कर क्रमशः शेरगढ़ व दौलतपुरा के किले में नजरबंद कर दिया गया।
- **चंडावल काण्ड** – 28 मार्च, 1942 को पूरे मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। लेकिन चंडावल ठाकुर ने इसकी अनुमति नही दी। इसके बावजूद लोक परिषद् के कार्यकर्ता चंडावल पहुँचे जिन पर आक्रमण कर दिया गया।
- 14 फरवरी, 1948 को The Direct Management of Jagir Estates Act 1949 बनाकर जागीरदारों से लगान वसूली शक्तियाँ छीन ली गई।

डाबडा हत्याकाण्ड – (13 मार्च, 1947)

- इस हत्याकाण्ड में 12 व्यक्ति मारे गये। डीडवाना के ठाकुर द्वारा यह अत्याचार किया गया।
- मथुरादास माथुर के नेतृत्व में प्रजामण्डल और किसान आंदोलन के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए थे।

शेखावाटी किसान आंदोलन (1922–1947)

- शेखावाटी किसान आंदोलन सीकर जिले से प्रारम्भ हुआ। यह आंदोलन पंच पानों में फैला था।
- **पंच पाने** – डूंडलोद, नवलगढ, बिसाऊ, अलसीसर और मंडावा।
- आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक कर व लाग बाग – बेगार।

- **नेतृत्वकर्ता** – रामनारायण चौधरी
- सीकर के तात्कालीन ठाकुर कल्याण सिंह ने भूमि कर में 1.5 गुणा की वृद्धि की।
- शेखावाटी में बेगार व्यवस्था का किसानों ने सर्वाधिक विरोध किया।
- 1921 में चिडावा सेवा समिति की स्थापना की गई।
- चौधरी हरलाल सिंह ने सीकर क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया।
- प्यारे लाल गुप्ता ने चिडावा में रहते हुए गाँधीवादी पद्धति से जनजागरण किया। अतः इन्हें चिडावा का गाँधी कहा जाता है।
- इन्होनें चिडावा में श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की।
- भरतपुर के शासक बृजेन्द्र सिंह के छोटे भाई देशराज ने 1931 में राजस्थान जाट महासभा की स्थापना की व शेखावाटी में जनजागरण किया।
- देशराज के प्रयासो से 1934 में सीकर के अलावा पलसाना नामक स्थान पर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें 3.50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।
- किशोरी देवी के नेतृत्व में सीकर के कटराथल नामक स्थान पर 25 अप्रैल, 1934 को विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें 10 हजार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।

जयसिंहपुरा हत्याकाण्ड (21 जून, 1934) – यह हत्याकांड ईश्वरी सिंह द्वारा करवाया गया। अतः इस पर जयपुर रियासत में मुकदमा चला। जेल की सजा हुई। रिंकू राम ने गवाही दी।

- ऐसा प्रथम बार हुआ जब किसान आंदोलन के दौरान अत्याचारी को सजा हुई हो।
- अगस्त 1934 में अंग्रेज अधिकारी w.t वैब की अध्यक्षता से समझौता हुआ तथा बेगार को समाप्त करने और भूमि कर कम करने की घोषणा हुई। इसका पालन किया गया।
- कूदन गाँव और खुंडी गाँव में किसानों की सभाएँ हुई। जहाँ अप्रैल 1935 में हत्याकाण्ड किये गये।
- कूदन गाँव हत्याकाण्ड की चर्चा ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कॉमन्स में लोरेन्स नामक अंग्रेज द्वारा की गई।
- कूदन हत्याकाण्ड – 25 अप्रैल, 1935 को हुआ।
- किसानों से लगान वसूली करने हेतु मलिक मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में भेजा गया।
- खुड़ी गाँव नरसंहार की आलोचना खण्डवा से प्रकाशित 'कर्मवीर' मे तथा गाँधी जी के 'हरिजन' समाचार पत्रों में की गई।
- 26 मई, 1935 सीकर दिवस मनाने का निश्चय किया।
- प्रजामण्डल ने 1940 ई. में किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए चार सदस्यों की एक समिति गठित की। जिसके सदस्य हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, सरदार हरलाल सिंह और विद्याधर कुलहरी थे। इन्होनें 25 मार्च, 1941 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे राज्य के भूमि सुधारों के इतिहास में मैग्नाकार्टा कहा जा सकता है।
- इस हत्याकाण्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शहीद हुए।
  - चेतराम
  - रिंकूराम
  - तुलछाराम
  - आशाराम
- इस आंदोलन के दौरान जमनालाज बजाज ने ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर जनजागरण किया।
- नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी में "जकात आंदोलन" चलाया।
- हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1946 में किसानों को बेगार व करों में राहत दी गई और यह आंदोलन समाप्त हुआ।

जाट किसान आंदोलन (1880) – यह आंदोलन मेवाड क्षेत्र में किया गया जो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था जो मातृकुण्डिया से शुरू हुआ। सामन्ती अत्याचार के विरूद्ध था।

विधानसभा (The Legislative Assembly)

विधानसभा की संरचना (Structure of Legislative Assembly)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाको की संरचना का वर्णन हैं–
- विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता हैं।
- विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी।
- लेकिन संसद अपने कानून से 60 से कम संख्या भी निश्चित कर सकती हैं, जैसे– सिक्किम में 32 व गोवा में 40 सीटें हैं।
- राज्य की जनसंख्या को देखते हुए सीटों की संख्या निश्चित की जाती हैं, इसलिए उतरप्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288 और राजस्थान में 200 सीटें हैं।
- 87 वें संविधान संशोधन के अनुसार यह सदस्यों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। (आधार–1971 की जनसंख्या के आंकड़े)
- इस प्रत्यक्ष चुनाव में 18 वर्ष के ऊपर का नागरिक मत का प्रयोग कर सकता है। 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता हैं।
- नागालैंड और सिक्किम में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। (अनुच्छेद 332)
- विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती हैं। राज्यपाल अवधि समाप्त होने के पहले सभा का विघटन कर सकता है। (अनुच्छेद 172)
- यदि अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो 5 वर्ष की अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
- सिक्किम में धर्म के आधार पर एक सीट के आरक्षण की प्रावधान हैं (बौद्ध धर्म)

राज्य	विधानसभा की सदस्य संख्या	राज्य	विधानसभा की सदस्य संख्या
कर्नाटक	224	उत्तर प्रदेश	403
छतीसगढ़	90	ओडिशा	147
गोवा	40	पंजाब	117
गुजरात	182	राजस्थान	200
हरियाणा	90	सिक्किम	32
केरल	140	उत्तराखंड	70
मध्य प्रदेश	230	पश्चिम बंगाल	294
आंध्र प्रदेश	175	महाराष्ट्र	288
तेलंगाना	119	मणिपुर	60
अरुणाचल प्रदेश	60	मेघालय	60
असम	126	मिजोरम	40
बिहार	243	नागालैंड	60

केंद्रशासित प्रदेश	विधानसभा की सदस्य संख्या
दिल्ली	70
पुदुच्चेरी	30
जम्मू–कश्मीर	114

राज्य विधानमण्डल का सत्र, सत्रावसान और विघटन
(Sessions, Prorogation and dissolution of legislature)

सत्र आहूत करना (Summoning of the session)

- संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय–समय पर राज्य के विधानमण्डल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन आहूत करेगा।
- इसमें यह भी कहा गया है कि एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। अर्थात् वर्ष में दो बार विधानमण्डल का सत्र होना चाहिए। एक सत्र में विधानमण्डल की अनेक बैठके हो सकती है।

स्थगन (Adjournment)

- स्थगन से तात्पर्य–बैठक को अस्थायी तौर पर निलम्बित करना। बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थिगित किया जा सकता है यह समय कुछ मिनटो, घंटों, दिनों या कुछ हफ्तों का भी हो सकता है।
- अनिश्चितकाल स्थगन– कभी–कभी पीठासीन अधि–कारी सदन को स्थिगित तो करता है किंतु पुनः एकत्रित होने के सम्बन्ध में तिथि या समय की घोषणा नहीं करता है, इस प्रकार के स्थगन को अनिश्चित काल स्थगन या साइन डाई स्थगन कहते है।)

सत्रावसान (Prorogation)

- सत्रावसान से तात्पर्य–विधानसभा के किसी सत्र का समाप्त होना।
- सत्रावसन को घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है।

विघटन (Dissolution)

- विघटन सत्रावसान से पृथक होता है।
- एक स्थायी सदन होने के कारण विधानपरिषद् कभी विघटित नहीं हो सकती है। विधानसभा ही विघटित होती है।
- संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल समय–समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा।
- विधानसभा के विघटित होने पर विधेयको खारिज होने की स्थिति–
    - विधानसभा में लम्बित विधेयक खारिज हो जाता है।
    - विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद् में है।
    - ऐसा विधेयक जो विधानपरिषद् में लम्बित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित न हो को खारिज नहीं किया जा सकता है।
    - ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल का अभिभाषण (Governor's Address)

- संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर राज्यपाल विधानसभा (या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से) सम्बोधित करता है, इस सम्बोधन को राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कहते है।

विधानसभा के पदाधिकारी

- संविधान के अनुच्छेद 178 में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन हैं।
  (i) प्रत्येक राज्य की विधानसभा, अपने सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी।
  (ii) विधानसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती हैं, वह सदस्य के रूप में ही शपथ लेता हैं।
  (iii) सभी सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलवाई जाती हैं।
  (iv) विधानसभा अध्यक्ष यदि अपना पद त्यागना चाहे तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता हैं।
  (v) विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता हैं।

- विधेयकों पर अनुमति– संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार,
  (i) विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तब राज्यपाल घोषित करेगा कि–
    (1) अनुमति देता है।
    (2) अनुमति रोक लेता है।
    (3) राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है।
  (ii) धन विधेयक को छोड़कर राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता हैं। पुनर्विचार के बाद पुनः पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होने पर राज्यपाल अनुमति नहीं रोकेगा अर्थात् देगा।
- राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक– संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार,
  (i) जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता हैं।
  (ii) राष्ट्रपति, राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति, राज्य के सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार के बाद 6 माह में सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार के बाद 6 माह की अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्यपाल की स्वीकृति (Governor's Approval)

- विधानसभा या विधानमण्डल के दोनों सदनों के द्वारा पारित किये जाने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में 4 विकल्प होते है।
- विधेयक की स्वीकृति प्रदान कर अधिनियम बना दे।
- वह विधेयक को अस्वीकार करने की घोषणा कर सकता है ऐसा वह मंत्रीपरिषद् की सलाह मिलने पर ही कर सकता है।
- वह विधेयक को सदन या सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे।
- वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर ले।
- वह विधेयक को अपने पास भी रोक सकता है, रोकने का अर्थ पॉकेट वीटो का प्रयोग करना है। संविधान में राज्यपाल को विधेयक पर फैसला करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है इसलिए वह अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख सकता है।
- यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करे तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते है–
  - राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है।

- राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति नहीं देने की घोषणा कर सकता है।
- अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गयी है तो वह अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रोक सकता है।
- राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक के किन्ही विशेष उपबंधों पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऐसी स्थिति में संदेश मिलने के 6 माह के भीतर राज्य विधानमण्डल उस पर चर्चा करता है। यदि वह विधेयक संशोधनों के साथ या उसके बिना पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है।

धन विधेयक (Money Bills)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार किसी भी विधेयक को धन विधेयक तब ही माना जायेगा यदि उसमें अनुच्छेद 197 में दी गई सूची में से कोई एक या एक से अधिक या सभी विषयों के प्रावधान जुडे होंगे और इस सूची के बाहर के विषयों से जुडे कोई प्रावधान नहीं होगे।
- धन विधेयक को केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है यह राज्यपाल की सिफारिश के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- विधानसभा के द्वारा पारित किये जाने के बाद इसे विधान परिषद् के पास भेजा जाता है। विधानपरिषद् के पास धन विधेयक के सम्बन्ध में प्रतिर्बोधत शक्तियाँ होती है वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। विधानपरिषद् इसमें केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक की लौटाना भी होता है। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- विधानसभा द्वारा सिफारिश को मान लेने पर विधेयक को पारित मान लिया जाता है और सिफारिश न मानने की स्थिति में भी पारित मान लिया जाता है।
- यदि विधानपरिषद् 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो इसको दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जायेगा। इस प्रकार एक विधेयक धन विधेयक के मामले में विधानसभा को विधानपरिषद् के मुकाबले अधिक अधिकार प्राप्त है।
- अतः जब किसी धन विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसको रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे सुरक्षित रख सकता है। लेकिन विधान मण्डल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है।
- जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो या तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे देता है या इसको रोक देता है लेकिन इसे राज्य विधानमण्डल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है।

वित्तीय विधेयक (Financial Bills)

- ऐसे सभी बिल जिनका सम्बन्ध वित्त से जुड़े मामलों से होता है जैसे–सरकार के व्यय या राजस्व से सम्बन्धित विधेयक।
- वित्त विधेयक के सामान्य विषय–जैसे किसी कर को लगाना या उसमें परिवर्तन करना।
- वित्तीय विधेयको को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है
  - वित्तीय विधेयक (प्रकार–I)
  - वित्तीय विधेयक (प्रकार–II)

वित्तीय विधेयक (प्रकार–I) – इस प्रकार के विधेयकों की चर्चा अनुच्छेद 207(1) में की गई है।

- इस प्रकार के विधेयकों में अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत वर्णित विषय तो शामिल है इसके अतिरिक्त ऐसे विषय भी शामिल है जो अनुच्छेद 199 की परिधि से बाहर के है।
- ऐसे विधेयक दो मामलों में धन विधेयक के समान होते है स
- इन विधेयकों को केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधानपरिषद् में नहीं।
- इन विधेयकों को राज्यपाल की सिफारिश से ही प्रस्तुत पर किया जा सकता है।
- ऐसे विधेयकों पर शेष सभी प्रावधान वहीं लाग होते है।साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में बताए गए है।

वित्तीय विधेयक (प्रकार–II)

- इस प्रकार के वित्तीय विधेयकों में वे विधेयक सम्मिलित होते है जो अनुच्छेद 207(3) के अन्तर्गत आते है।
- इस प्रकार के विधेयकों में राज्य की संचित निधि से होने वाले विषय जुडे होते है लेकिन ऐसा कोई विषय सम्मिलित नहीं होता है अनुच्छेद 199 के विषयों से हो।
- इस प्रकार के विधेयकों पर साधारण विधेयकों वाले प्राव लागू होते है। इस प्रकार के विधेयकों के सम्बन्ध में सि एक बात विशेष महत्व की है कि ऐसे विधेयक पर कोई भी सदन जब चाहे विचार करना शुरु कर सकता है, किंतु जब कोई सदन उस पर विचार करना या उसको पारित करना चाहता है तो उससे पहले राज्यपाल की सिफारिश लेना जरूरी होता है। यह सिफारिश दोनों सदनों को लेनी पड़ती है।

वार्षिक वित्तीय विवरण

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य के "वार्षिक वित्तीय विवरण" का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधानमण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष की प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखता है। इसे श्बजटश के नाम से भी जाना जाता है।

राज्य की निधियाँ (Funds of the state)

- भारतीय संविधान में राज्य सरकार के राजस्व और खर्चो आदि के लिए तीन प्रकार की निधियों के बारे में बताया गया है–

राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State)

- राज्य की संचित निधि की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सरा राजस्व और ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसमें जमा कराया जाता है। और राज्य सरकार के सभी खर्चे इस निधि से होते है।

राज्य लोक लेखा (Public Account of State)

- राज्य लोक लेखा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है राज्य की सचित निधि के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक राशिया राज्य लोक लेखा में जमा होती है।
- राज्य लोक लेखा से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमण्डल की आवश्यकता नहीं होती है।
- राज्य की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of State)– राज्य की आकस्मिक निधि की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 267 में की गई है। इस निधि का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च हेतु राज्य विधानमण्डल ने सरकार को प्राधिकृत नहीं किया हो तब तक राज्यपाल उसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम तौर से दे सकेगा।

राजस्थान विधानसभा

विधानसभा	अवधि	कुल सीट	सत्ताधारी पार्टी	विपक्षी पार्टी	मुख्यमंत्री	विधानसभा पदाधिकारी एवं विपक्ष के नेता
प्रथम विधानसभा	23.02.1952-23.03.1957	160	काँग्रेस (82 सीट)	राम राज्यपरिषद व अन्य (78 सीट)	1. टीकाराम पालीवाल 2. जयनारायण व्यास 3. मोहनलाल सुखाड़िया	अध्यक्ष– नरोत्तमलाल जोशी उपाध्यक्ष– लालसिंह शक्तावत विपक्ष का नेता– जसवंत सिंह
द्वितीय विधानसभा	02.04.1957-01.03.1962	176	काँग्रेस (119 सीट)	प्रजा प्रगतिदल व अन्य (57 सीट)	मोहनलाल सुखाडिया	अध्यक्ष– रामनिवास मिर्धा उपाध्यक्ष– निरंजन नाथ आचार्य
तृतीय विधानसभा	03.03.1962-28.02.1967	176	काँग्रेस (89 सीट)	स्वतंत्र पार्टी व अन्य (87 सीट)	मोहनलाल सुखाडिया	अध्यक्ष– रामनिवास मिर्धा उपाध्यक्ष– नारायण सिंह विपक्ष का नेता– लक्ष्मण सिंह
चतुर्थ विधानसभा	01.03.1967 15.03.1972	184	काँग्रेस (103 सीट)	स्वतंत्र पार्टी व अन्य (81 सीट)	1. मोहनलाल सुखाड़िया 2. बरकतुल्ला खाँ	अध्यक्ष– निरंजन नाथ आचार्य उपाध्यक्ष 1. पूनम चंद विश्नोई 2. राम नारायण विपक्ष का नेता– लक्ष्मण सिंह
राष्ट्रपति शासन (प्रथम बार) 13.03.1967–26.04.1967						
पाँचवी विधानसभा	15.03.1972-30.04.1977	184	काँग्रेस (145 सीट)	स्वतंत्र पार्टी (39) व अन्य (39 सीट)	1. बरकतुल्ला खाँ 2. हरिदेव जोशी	अध्यक्ष–रामकिशोर व्यास उपाध्यक्ष– श्री रामसिंह यादव विपक्ष का नेता– लक्ष्मण सिंह
राष्ट्रपति शासन (द्वितीय बार) 30.041977–21.06.1977						
छठी विधानसभा	22.06.1977-16.02.1980	200	छठी विधानसभा	काँग्रेस व अन्य (50 सीट)	भैरोंसिंह शेखावत	अध्यक्ष 1. लक्ष्मण सिंह 2. गोपाल सिंह उपाध्यक्ष– राम चंद्रा विपक्ष का नेता 1. पारसराम मदेरणा 2. राम नारायण चौधरी 3. लक्ष्मण सिंह